96

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-3110/2018/भिण्ड/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 281/अपील/16-17

श्रीमती पुष्पा पुत्री नरहरि सिंह पत्नी विजयपाल सिंह
निवासी-ग्राम वीरमपुरा तह. सबलगढ़ जिला मुरैना
हाल निवासी ग्राम खिदरपुरा तह. मेंहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

प्रिंसी भदौरिया पुत्री स्व. योगेन्द्र सिंह
निवासी- ग्राम खिदरपुरा तह. मेंहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. धाकड़

आदेश

(आज दिनांक...20.4.19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 281/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार मेंहगांव जिला भिण्ड के न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि मौजा खिदरपुरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतकर्ता नरहरि सिंह पुत्र

कम्मोद सिंह भूमिस्वामी राजस्व कागजाद दर्ज हैं, के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किया जावे। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 10.01.2017 द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 25.05.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। एवं प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका ने पिता के पास रहकर लगभग 20 वर्षों तक उनकी सेवा व देखभाल की। ऐसी परिस्थिति में मृतक नरहरि सिंह द्वारा आवेदिका के नाम से दिनांक 10.05.06 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित की उस के बाद दिनांक 02.10.2016 को नरहरि सिंह की मृत्यु हो गई। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार महोदय के न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की। जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो कि विचारण न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे। उन्हें अपील करने की अधिकारिता ही नहीं थी। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक नरहरि सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी और स्वयं की निजी संपत्ति को वह किसी को भी वसीयतनामा करने की अधिकारिता रहती है। इसलिए मृतक नरहरि सिंह द्वारा अपनी पुत्री आवेदिका को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया गया है। जिस आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में महान भूल की गई है, क्योंकि वसीयतनामा को शून्य करने का अधिकार राजस्व् न्यायालय को नहीं है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदिका द्वारा रिकॉर्ड में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किए गए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नाधीन संपत्ति नरहरि सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वसीयत के साक्षियों द्वारा आवेदिका को ही एक मात्र वारिस बताया गया है जबकि नरहरि के पुत्र मृतक योगेन्द्र के वारिसान भी मौजूद हैं।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न इश्तहार में काट-छांट की गई है। तथा विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृतक नरहरि सिंह के वैध वारिसानों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है एवं ना ही उन्हें कोई सूचना-पत्र जारी किया गया है। जबकि वारिस होने के नाते उन्हें सूचना-पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाना था। वसीयत के साक्षियों द्वारा लिखित कथन में आवेदिका को ही एक मात्र वारिस बताया गया है जबकि नरहरि के पुत्र मृतक योगेन्द्र के वारिसान भी मौजूद हैं। वसीयत के साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी अनावेदकगण को नहीं मिला है। उक्त तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कई न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उभयपक्षों के गुण-दोषों पर आगे सुनवाई/साक्ष्य प्रारंभ की। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। आवेदिका द्वारा रिकॉर्ड में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नाधीन संपत्ति नरहरि सिंह की स्व-अर्जित संपत्ति थी। प्रकरण की समग्र परिस्थिति पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त का आदेश उचित, वैधानिक एवं न्यायसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण के पक्ष में कोई अंतिम आदेश पारित न करते हुए दिनांक 25.05.2017 को तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिनांक 08.06.2017 को अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पेशी नियत की व दिनांक 21.07.2017 को आवेदक साक्ष्य हेतु पेशी नियत की, किंतु इसी बीच आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम नहीं था एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण निरंतर प्रचलित था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अंतिम

नहीं कहा जा सकता एवं अपर आयुक्त को अपील ग्राह्य ही नहीं करना चाहिए थी, किंतु इस तकनीकि त्रुटि के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा की गई विवेचना में मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 स्थिर रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में पूर्व से चल रही सुनवाई को जारी रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर गुण-दोष पर विधिपूर्ण आदेश पारित करें।

(बी.एम. शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर